

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना सिधारी

पुलिस मुठभेड में एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, लूट की नियत से निकला था वांछित, अवैध कट्टा व कारतूस भी बरामदा

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित, इनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री पंकज कुमार पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी नगर महोदया के कुशल निर्देशन में मुझ प्रभारी के नेतृत्व में उ.नि. हरीशचन्द्र प्रसाद मय हमराह के दिनांक 25.07.2020 को क्षेत्र में भ्रमणशील होकर भदुली में स्वाट टीम के साथ अपराध व अपराधियों के संबंध में बातचित किया जा रहा था कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि एक मो०सा० से दो व्यक्ति निजामाबाद की तरफ से आ रहे जो आपराधिक किस्म के हैं जिसके पास असलहा है जो किसी घटना को अंजाम देने के लिए आ रहे हैं मुखबीर की सूचना पर उ०नि० हरीश चन्द्र मय हमराह कर्मचारीगण व स्वाट टीम की के साथ भदुली नदी तमसा पुलिया केपहले जिन्नाद बाबा मजार की आड़ में आने वाले व्यक्तियों को इंतजार किया जाना लगा की थोड़ी देर बाद एक मो०सा० पर सवार दो व्यक्ति आ रहे थे कि आने जाने वाली वाहनो के हेड लाइट की रोशनी से मुखबीर ने बताया कि वही आ रहे हैं कि पुलिस बल द्वारा आ रहे मो० सा० व्यक्तियों को टार्च की रोशनी देकर रोकने का इशारा किया तो चला रहा मो०सा० व्यक्ति ने कहा कि मारो सालो को पुलिस वाले हैं इस पर पीछे बैठा व्यक्ति विशाल यादव मो० सा० से उतकर पुलिस वालो को लक्ष्य बनाकर जान मारने की नियत से कट्टा से फायर की पुलिस वाले बाल बाल बच गये । तथा मौका पाकर मो०सा० चला रहा व्यक्ति यशवंत यादव भागने में सफल हो गया । हिकमत अमली से फायर करने वाले व्यक्ति विशाल यादव को समय 21.50 बजे गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से एक अदद कट्टा 9 mm व एक अदद जिन्दा कारतूस 9 mm व एक अदद खोखा कारतूस 9 mm बरामद हुआ पकड़े गये अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण – पूछताछ पर अभियुक्त विशाल यादव पुत्र संजय उर्फ आशीष यादव सा० मोहम्मदल्ला थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ बताया कि साहब गलती हो गयी आज हमलोग लूट करने की नियत से निकले थे , आप लोग खड़े थे कि यशवंत के ललाकारने पर मैं आप लोगो पर गोली चलाकर भागना चाहा की पकड़ लिया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1-विशाल यादव पुत्र संजय उर्फ आशीष यादव सा० मोहम्मदल्ला थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष

पंजीकृत अभियोग –

1- मु.अ.स. 178/21 धारा 307 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

2- मु.अ.स. 179/21 धारा 3/7/25 आयुध अधिनियम थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

बरामदगी –

1 एक अदद कट्टा 9 mm व

2. एक अदद जिन्दा कारतूस 9 mm

3. एक अदद खोखा कारतूस 9 mm

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

2 उ०नि० हरीशचन्द्र प्रसाद थाना सिधारी आजमगढ़

3. उ०नि० जाफर खान थाना सिधारी आजमगढ़

4 का० हे०का० रामलखन यादव थाना सिधारी आजमगढ़

5 हे०का० दिलीप पाठक स्वाट टीम आजमगढ़

6 हे०का० औरंगजेब खान स्वाट टीम आजमगढ़

7. का० अमित सिंह स्वाट टीम आजमगढ़

8 का० अश्वनी यादव थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

9 का० रणजीत सिंह स्वाट टीम आजमगढ़